-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **एटीएम मशीन में टेम्परिंग कर कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में कृत्रिम शटर लगाकर नकदी चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर निकाले गये 5960 रुपये, घटना में प्रयुक्त औजार आदि सहित मोटरसाइकिल बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही है कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एटीएम मशीन से छेड़छाड़/टेम्परिंग कर कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में कृत्रिम शटर लगाकर नकदी रुपए चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 11.11.2026 को थाना कोतवाली नगर पर परशुराम तालाब के रहने वाले वीरेन्द्र कुमार ने थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि दिनांक10/11.11.2026 की रात्रि में बंगाली पुरा स्थित एक एटीएम से 15 हजार रुपए निकालने गए थे। निकालने की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी जब रुपए नहीं निकले तो उन्हे आभास हुआ कि एटीएम में कुछ गड़बड़ी/छेड़छाड़ की गई है साथ ही अन्य व्यक्ति द्वारा भी बताया गया उसके भी 05 रुपए सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी नही निकले है। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए मामलें की जांच व अभियुक्तों की पहचान पर गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक व भौतिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए आज दिनांक 13.11.2026 को घटना में शामिल 02 अभियुक्तों की पहचान कर मुखबिर की सूचना पर महोखर बाइपास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर निकाले गये रुपये सहित घटना में प्रयुक्त औजार सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वे दोनों मिलकर एटीएम में छेड़छाड़ कर नकदी चोरी करते थे। चोरी करने के लिए वे एटीएम के कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट (जहाँ से ग्राहक को नकदी प्राप्त होती है) के सामने लगे कवर/पल्ले को प्लास से क्षतिग्रस्त कर उसमें टेप एवं फेवीक्विक की मदद से एक कृत्रिम शटर लगा देते थे। इसके बाद कवर को पुनः चिपका देते थे, जिससे बाहर से एटीएम सामान्य दिखाई देता था। इस छेड़छाड़ के कारण जब कोई ग्राहक एटीएम से नकदी निकालने का प्रयास करता था, तो मशीन द्वारा नकदी जारी होने के बावजूद वह ग्राहक तक नहीं पहुँच पाती थी और लगाए गए कृत्रिम शटर में फंस जाती थी। ग्राहकों के जाने के बाद दोनों व्यक्ति एटीएम के कवर को खोलकर फंसी हुई नकदी निकाल लेते थे। पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है साथ ही इनके आपराधिक इतिहास के भी बारे में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 5960 रुपये (एटीएम से छेड़छाड़ कर निकाले गये)
- 01 मोटरसाइकिल
- 02 एनड्रॉयड फोन
- 05 एटीएम कार्ड
- मशीन से छेड़छाड़/टेम्परिंग में प्रयुक्त 01 प्लास, 03 प्लेट्स, 03 टेप के बंडल, सिल्वर स्प्रे पेंट, 03 रबर, फेवीक्विक, 01 बिजली का टेप व 01 बैग आदि औजार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. करन पुत्र अशोक निवासी बवारा सवारा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
2. अजय पुत्र रामदास निवासी कंचन पुरवा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 581/2026 धारा 318(4)/303(2)/319(2)/334(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर
2. श्री आकाश शुक्ला चौकी प्रभारी मण्डी समिति
3. कां0 नवीन कुमार यादव
4. कां0 प्रशान्त कुमार
5. कां0 सौरभ